रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल-: ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/JHN-4/CU- 2/ Vol-IV Date- 17 /8/ 2018

प्रेषित Agent Mines,
Kolihan Copper Mine
M/S Hindustan Copper Ltd,
P.O.- Khetri Nagar,
Distt. Jhunjhunu, Rajasthan

विषयः राजस्थान राज्य के Jhunjhunu जिले में स्थित आपकी Kolihan Copper **खान मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 14RAJ17003)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 6.8.2018 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम — उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

11(1) 1) The Mining operations are carried out in violation of following provisions of approved modified mining plan (approved on 22/5/2018).

Year	Proposed exploration in meterage	Exploration Carried out in meterage
2017-18	64mRL- 2400 m	64mRL- 350m 0mRL- 196m
	Total- 2400m	Total – 546m

It shows that the exploration has not been carried out as per approved proposals and there is shortfall in total meterage of exploration.

2)

Year	Level	Proposed level wise Development	Development carried out in M
2017-18	64mRL	2910m	48.1m
	Total Development	3500m	633.6m

It shows that the development has not been carried out as per approved proposals and there is shortfall in total meterage of development.

19(1) Log book of heavy earth moving machinery have not been maintained.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(एच.सी.शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–</u>

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई–मेल द्वारा)
2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
3 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो